Rs.5 5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5
INDIA भारत INDIA भारत CANCELLED INDIA
FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

90

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प जबलपुर

निगरानी – 4398/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.
सुमित्रा बाई बेवा बाबूलाल ब्राम्हण 9424964615–
निवासी–ग्राम बरमान तह. करेली जिला नरसिंहपुर .... निगरानीकर्ता

बनाम

590

1 अन्नी लाल आ. बल्ले चमार
2 रमेश आ. बल्ले चमार
3 मुन्ना लाल आ. बल्ले चमार
तीनो निवासी–चॉवरपाठा तह. तेंदूखेड़ा व जिला नरसिंहपुर .... उत्तरवादीगण

22 MAY 2018

निगरानी अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं.1959

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा के राजस्व मामल क. 16अ/6/अपील वर्ष 2017–18 अन्नी बगैरा बनाम सुमित्रा बाई में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25.04.2018 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के तथ्य

1 यह कि मौजा पदम प.ह.न. 20 न.ब. 249 तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिहपुर स्थित कृषि भूमि ख.न. 7/18 रकवा 1.619 हे. भूमि पर न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय के राजस्व मामला क्र. 30अ/6 वर्ष 1997–98 में उत्तरवादी की मॉ श्रीमति पुट्टो बाई के आवेदन एवं सहमति के आधार पर निगरानीकर्ता का नाम कब्जा सौपें जाने के आधार पर दिनांक 06.03.1998 को पारित किये गये थे तभी निगरानीकर्ता का नाम राजस्व रिकार्डो में दर्ज चला आ रहा है और तभी से निगरानी कर्ता उक्त भूमि पर काबिज होकर कास्तकारी कर रही है।

2 यह कि अपीलार्थीगणों के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.1998 के विरूद्ध 21 वर्ष उपरांत न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा के समक्ष अपील पेश कर धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन को बिना उचित कारण के बिलंब को माफ करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 25.04.2018 को अपील समय अवधिं मे मानकर स्वीकार की गई जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता उक्त निगरानी पेश कर रही है।

निगरानी के आधार

3 यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4 यह कि अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि उत्तरवादीगणों के द्वारा अपने धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन में ऐसा कोई समुचित कारण नही बतलाया था जिससे हुए बिलम्ब को माफ किया जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने समय अवधि में अपील स्वीकार की जो विधि के विपरीत है इस कारण से पारित आदेश दिनांक 25.04.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4398/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-2-19	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सोनी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 16/अ-6/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 25/04/18 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:- धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन- (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर	